फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बदनसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल0आर0ए0

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

मु0नं0–62/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2024	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 1.3400 है0 तथा खसरा नम्बर 964/47 रकबा 0.4000 है0 वाके ग्राम पांचोली तह0 सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की की सहखातेदारी की भूमि थी। जिसका सहमति बंटवारा पक्षकारान द्वारा करवाया गया था। उक्त सहमति बंटवारे में पक्षकारान द्वारा एन0एच0 21 के लगती हुई सभी खातेदारान को बराबर भूमि देने के आधार पर बंटवारा चाहा गया था लेकिन जब भूमि का बंटवारा किया गया जब राजस्व रिकॉर्ड में तो सभी पक्षकारान को समान भूमि दी गई है लेकिन नक्श में तरमीम गलत कर भूमि कम ज्यादा कर दी गई। उक्त भूमि की तरमीम में रूपसिंह एवं रेशम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर तथा दौलत एवं लल्ली को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा बदनसिंह एवं कौशल्या को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा रामसिंह एवं बदाम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा शिवचरण एवं कैलाशी को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि होनी चाहिए थी लेकिन तरमीम में उक्त भूमि को कम ज्यादा कर दिया गया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि की तरमीम में रूपसिंह एवं रेशम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर तथा दौलत एवं लल्ली को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा बदनसिंह एवं कौशल्या को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा रामसिंह एवं बदाम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा शिवचरण एवं कैलाशी को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर देते हुए तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जावें। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रावली में रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया गया है। एवं विवादित भूमि सभी पक्षकार एन0एच021 पर समान भूमि देते हुए तरमीम करवाने को राजी है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पांचोली तह0 सिकराय जिला दौसा में की भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 1.3400 है0 तथा खसरा नम्बर 964/47 रकबा 0.4000 है0 के हुए सहमति तकास्मे की तरमीम में रूपसिंह एवं रेशम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर तथा दौलत एवं लल्ली को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा बदनसिंह एवं कौशल्या को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा रामसिंह एवं बदाम को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि तथा शिवचरण एवं कैलाशी को रोड से लगते हुए 32.22 मीटर भूमि देते हुए तरमीम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। जवाब तहसीलदार सिकराय निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)